

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय-धामपुर

ब्लॉक-

पूर्ण जमा योजना

पत्र संख्या 5391 वि०वि०ख०द्वि०धा०/तक०

दिनांक 26/08/2023

श्री हिमांशु कुमार पुत्र श्री केदार सिंह निवासी रामनगर पो० खास तह० धामपुर जिला बिजनौर।


विषय:- पूर्ण जमा योजना के अर्न्तगत निजी नलकूप विद्युत संयोजन की टी०सी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।

कृपया आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा पूर्ण जमा योजना के अर्न्तगत 08 एच०पी० रामनगर में नलकूप का विद्युत संयोजन लेने हेतु आवेदन किया गया है जिसका प्राक्कलन बनाकर अवर अभियन्ता, 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र, पैगम्बरपुर व उपखण्ड अधिकारी अफ्जलगढ / स्रोहारा / भिक्कावाला / द्वितीय स्रोहारा द्वारा बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया जिसे स्वीकृत कर टी०सी० आपको इस आशय से प्रेषित है कि निम्न विवरण के अनुसार उक्त टी०सी० की धनराशि इस कार्यालय में जमा कराने की कृपा करें, धनराशि का विवरण इस प्रकार है -

	विवरण	धनराशि
1	जमानत राशि	2400.00
2	इलैक्ट्रानिक 3 फेस	2921.00
3	प्राक्कलन की धनराशि	132342.00
4	लेबर चार्ज / फिक्स चार्ज	2036.00
	कुल योग	139699.00

1. आवेदनकर्ता उपरोक्त धनराशि इस पत्र पर अंकित दिनांक से 1 महीने के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में वर्तमान कार्ट शेड्यूल के अनुसार पुनः टी०सी० को संशोधित कर निर्गत की जायेगी।
2. आवेदनकर्ता उक्त धनराशि को जनसेवा केन्द्र / नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जमा करा सकते हैं।
3. आवेदनकर्ता उक्त धनराशि को जमा करने उपरान्त विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निरीक्षण शुल्क जमा करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक में चालान जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।
4. आवेदनकर्ता को 100 रूपये का स्टाम्प पेपर के साथ खण्ड कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कराना होगा।
5. लाईन का निर्माण करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी को समय से अवगत कराना होगा जिससे साईट पर लगी सामग्री का निरीक्षण कर अपनी आख्या इस कार्यालय को प्रेषित कर सकें।
6. लाईन का निर्माण के पश्चात लाईन की गुणवत्ता की जांच उपखण्ड अधिकारी करेंगे।
7. आवेदनकर्ता पत्र में अंकित सभी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही अपना संयोजन निर्गत करा सकते हैं।
8. अधोहस्ताक्षकर्ता को उपरोक्त प्रस्ताव को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

नोट:- आवेदकर्ता को मीटर व सेंट कैपेस्टिटर लागाने हेतु कोठरी का निर्माण कराना अति आवश्यक है तभी टी०सी० मान्य होगी।


अधिशासी अभियन्ता